मंथन अध्ययन केन्द्र
दशहरा मैदान रोड़, बड़वानी (म॰प्र॰) 451 551
फोन – 07290 222857, ईमैल – manthan.kendra@gmail.com

मध्यप्रदेश के जलक्षेत्र में सुधार हेतु एडीबी और विश्व बैंक के कर्जों से 2 परियोजनाएँ संचालित है। कर्जो की शर्तों के तहत इन वित्तीय एजेंसियों द्वारा थोपी गई अनावश्यक शर्तों का प्रभाव भी अब जल क्षेत्र में पड़ता दिखाई देने लगा है। अधिकारी और राजनेता भी अब वित्तीय एजेंसियों की भाषा बोलते नजर आ रहे हैं। पानी की बर्बादी रोकने के बहाने शुल्क वृद्धि को न्यायोचित ठहराया जा रहा है। इन परियोजनाओं के प्रभाव अब दिखाई देने प्रारंभ हो गए हैं। 'मंथन' द्वारा इन परियोजनाओं के क्रियांवयन और इनके प्रभावों पर निगरानी की जा रही है। इन परियोजनाओं का अब तक का संक्षिप्त अपडेट प्रस्तुत है।

मध्यप्रदेश शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरण सुधार योजना

मध्यप्रदेश को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से 20 करोड़ डॉलर* (900 करोड़ रूपये) का कर्ज (क्र॰ IND - 32254) दिसंबर 2003 में स्वीकृत हुआ। इस कर्ज से **''म॰प्र॰ शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरण सुधार परियोजना''** प्रारंभ की गई है जो सितंबर 2009 में पूरी होगी। कर्ज की प्रमुख शर्तों में सार्वजनिक नलों को समाप्त करना है। साथ ही जलदर एवं संपत्ति कर की वृद्धि, अन्य नये शुल्कों और सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से जलप्रदाय व्यवस्था को लाभदायक बनाने की बात कही गई है। इस परियोजना भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर शहर शामिल हैं।

इंदौर नगरनिगम के प्रस्ताव क्र॰ 6, दिनांक 16 मई 2006 के निम्न प्रावधानों से गरीबों के साथ–साथ आम मध्यम वर्ग के लिए भी पेयजल प्राप्त करना कठिन हो जायेगा।

सार्वजनिक नलों का खात्मा

- नया सार्वजनिक (बड़ा) नल कनेक्शन नहीं लगाया जाए।
- पहले से लगे सार्वजनिक नलों को उन लोगों के नाम पंजीबद्ध किये जाएँ जिनके घरों के सामने ये नल लगे हैं। और इन्हीं लोगों के नाम से बिल जारी किये जाएँ।

जलदर वृद्धि

11 सितंबर 2006 से इंदौर नगरनिगम ने जलदर 90 से बढ़ाकर 150 रुपए/माह कर ही दी है। जलदर में वृद्धि का कारण जल क्षेत्र में राजस्व की कमी दर्शाया गया है।

- निगम के बजट प्रस्ताव दिनांक 16 मई 2006 के अनुसार जल कर नहीं चुकाने वालों के कनेक्शन काट दिए जाए और उन्हें बकाया राशि वसूलने के बाद भी पुनः बहाल न किया। उनसे पूरा कनेक्शन शुल्क 2,500 वसूलकर नया कनेक्शन दिया जाए। यह प्रावधान अभी लागू होना शेष है।

कुएँ–बावड़ी से पानी लेने वालों से भी उगाही

- निगम बजट प्रस्ताव दिनांक 16 मई 2006 में उन लोगों से भी वसूली का प्रस्ताव है जो नगरनिगम की सेवाएँ नहीं लेते। निजी कुओं, नलकूपों सहित अन्य स्रोतों से पानी लेने वाले ऐसे

---

* डॉलर–रुपया विनिमय दर कर्ज स्वीकृति के समय की है।

नागरिकों से सामान्य घरेलू नल कनेक्शन के बराबर बिल वसूला जाना है। यह प्रावधान अभी लागू होना शेष है।

नये करों की शुरूआत – इंदौर नगरनिगम उन्हीं करों को लागू कर रहा है जो एडीबी कर्ज की शर्तों में शामिल हैं। वित्त वर्ष 2007-08 से कचरा प्रबंधन शुल्क भी प्रारंभ किया गया है। हालांकि अभी इसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक ही सीमित रखा गया है जो कम से कम 1,000 रुपए/माह और अधिकतम 30,000 रुपए/माह होगा। इसे सभी परिवारों पर आरोपित किया जाएगा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जल–मलनिकासी एवं स्वच्छता शुल्क पानी के बिल का 25 से 40% आरोपित किया जाएगा जबकि ठोस कचरे हेतु 30 रुपया प्रतिमाह अलग से लिया जायेगा।

निजीकरण की राह – इंदौर शहर के कुछ हिस्सों में सफाई व्यवस्था, कचरा संग्रहण और Under assessed Property के Assessment का काम निजी एजेंसियों से करवाने का प्रस्ताव किया गया है।

नगरनिकायों का एकीकरण– जून 2007 में प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री जयंत मलैया ने बताया कि प्रदेश के नगरीय निकायों को एक कर मेट्रोपोलिटन एरिया प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (MAPDA) के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। श्री मलैया के अनुसार मैपडा में नगर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के साथ ही अन्य विकास एजेंसियों को मिलाने की योजना है। मैपडा को मास्टर प्लान से लेकर विकास के हर काम करने का अधिकार होगा। मैपडा के राज्यस्तरीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और हर इकाई का अध्यक्ष कोई नेता होगा। बोर्ड में आसपास की ग्राम पंचायतों के सरपंचों को भी शामिल करने का कारण है कि इस ऐजेंडे को गाँव स्तर पर लागू करने में भी परेशानी न हो।

अधोसंरचना विकास हेतु कंपनी – मध्यप्रदेश की मंत्रिपरिषद ने 22 नवंबर 2007 को नगरीय निकायों के लिए 'मध्यप्रदेश शहरी अधोसंरचना कोष'[†] गठित करने संबंधी निर्णय लिया। क्योंकि ये निकाय बाहरी वित्तीय ऐजेंसियों से लिये जाने वाले कर्ज की मार्जिन मनी भी चुकाने की स्थिति में नहीं है। उदाहरण के लिए एडीबी सहायतित योजना में नगरनिकायों को भी अपना अंशदान देना है। 300.5 लाख डॉलर की पूरी परियोजना में से अकेले इंदौर में करीब आधी राशि (127.7 लाख डॉलर)[**] खर्च होगी। लेकिन नगरनिगम की माली हालत ऐसी नहीं है कि वह अपने हिस्से का अंशदान 71.70 करोड़ रुपये जुटा पाए। इसलिए वर्ष 2005 – 06 के बजट प्रस्ताव में इस अंशदान राशि हेतु IFC तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने की संभावना तलाशने की चर्चा की गई है। अन्य नगरनिकायों की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं है।

सबका एजेण्डा एक[***] – हाल ही में ब्रिटिश सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (DFID) ने लगभग 350 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से मध्यप्रदेश में ''गरीबोन्मुख शहरी सेवाएँ'' कार्यक्रम शुरू किया है। इस राशि में से लगभग आधी राशि एडीबी परियोजना मे शामिल प्रदेश के चार शहरों भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं जबलपुर में झुग्गी बस्तियों एवं उनके रहवासियों के विकास के लिए संचालित कार्यों पर व्यय की जाएगी। इसके बारे में कहा गया है कि यह कार्यक्रम गरीबोन्मुखी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन तथा अन्य वित्त पोषक एजेन्सियों द्वारा प्रदत्त कार्यक्रमों एवं राज्य शासन के कार्यक्रमों का

---

† मध्यप्रदेश शहरी अधोसंरचना कोष में राज्य शासन का अंशदान 20 करोड़ रुपये होगा जिसके लिये ''**मध्यप्रदेश नगरीय अधोसंरचना एवं वित्तीय सेवाएं मर्यादित**'' (MP Urban Infrastructure and Financial Services Limited) का गठन किया जायेगा। इस कंपनी में 26 फीसदी अंश राज्य शासन के तथा शेष 74 फीसदी अंश निजी क्षेत्र की कंपनियों के रखे जायेंगे। इस कोष को पूल्ड फाईनेंस डेवलपमेंट फण्ड (पी.एफ.डी.एफ.) योजना के अंतर्गत राज्य साझा वित्त इकाई (एस.पी.एफ.ई.) के रुप में नामांकित किया जायेगा।

** हाल ही में डॉलर का मूल्य गिरने से इस परियोजना लागत बढ़ कर करीब 140 लाख डालर से अधिक हो चुकी है।

*** प्रधानमंत्री द्वारा ली गई जेएनएनयूआरएम की पहली समीक्षा बैठक में 9 अक्टूबर 2007 को म॰प्र॰ के नगरीय प्रशासन आयुक्त श्री मलय श्रीवास्तव ने बताया कि नेहरू मिशन का रिफार्म एजेण्डा लागू करने में मध्यप्रदेश अव्वल है। इसके तहत 74 वाँ संशोधन लागू करना, शहरी सीलिंग कानून समाप्त करना, भवन अनुज्ञा प्रक्रिया का सरलीकरण, कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में बदलना प्रमुख है।

भी समर्थन करता है। इसका अर्थ है कि सारी वित्तीय एजेंसियों का एजेण्डा एक ही है, आर्थिक सुधार के माध्यम से सेवा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों का प्रवेश करवाना।

बस्तियों की स्थिति – इंदौर में परियोजना को प्रारंभ हुए करीब ढाई वर्ष गुजर चुका है लेकिन बस्तियों को इसके अभी कोई लाभ नजर नहीं आ रहे हैं। बस्तियों में काम करने वाली इंदौर की संस्था ''दीनबंधु'' ने शहर की 10 बस्तियों का अध्ययन कर पाया कि वहाँ परियोजना के कोई लाभ नहीं पहुँचे है। इन बस्तियों में पेयजल की सुविधा या तो है ही नहीं या फिर है भी तो न के बराबर है। पेयजल के लिए इन बस्तियों को निजी टेंकरों अथवा 2 - 3 किमी दूर के खेतों पर निर्भर रहना पड़ता है। दीनबंधु द्वारा सर्वेक्षित बस्ती भीमनगर के अच्छे विकास के लिए इंदौर नगरनिगम को ओडीए का पुरस्कार भी मिल चुका है। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जॉन मेजर स्वयं इस बस्ती को देखने आये थे। उल्लेखनीय है कि शहर की 174 बस्तियों में अधोसंरचना विकास हेतु विदेशी विकास सहायता (ओडीए) के तहत 64 करोड़ रुपए का अनुदान मिला था। 1400 की जनसंख्या वाली भीमनगर बस्ती में मात्र 2 सार्वजनिक नल है जिनमें एक दिन छोड़कर पानी सप्लाई होता है।

इंदौर का नर्मदा तृतीय चरण – इंदौर में एडीबी परियोजना का एक प्रमुख घटक नर्मदा तृतीय चरण है। इसकी पाईपलाईन तथा सुरंग निर्माण हेतु 254.59 करोड़ रुपए का टेण्डर 20 अप्रैल 2007 को खोला गया। 23 जून 2007 को प्रदेश के मुख्यसचिव की अध्यक्षता वाली साधिकार समिति को इस योजना के टेण्डर जारी करने के पूर्व एडीबी के दिल्ली और मनीला कार्यालय से अधिकृत मंजूरी लेनी पड़ी। इसमें 150 किमी लम्बी पाईप लाईन के जरिए नर्मदा से 360 एमलडी पानी इंदौर लाया जाना है। इसके ठेके ग्रेफाईट इण्डिया (नाशिक), जेएमसी प्रोजेक्ट (अहमदाबाद), प्रतिभा कंस्ट्रक्शन (मुँबई) और एसईडब्ल्यू (हैदराबाद) को दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त स्वच्छता तथा विद्युतीय और यांत्रिक पुनर्वास संबंधी कुछ छोटे टेण्डर भी जारी हो चुके हैं।

राजनैतिक स्थिति – एडीबी की सारी शर्तें मान लेने के बाद भी अभी तक राजनैतिक दल दर वृद्धि के प्रति सहज नहीं है। जब तक जरूरी न हो वे इससे बचने का ही प्रयास करते नजर आते हैं। भोपाल नगरनिगम में काँग्रेस पार्षद दल के सचेतक एवं पूर्व जलकार्य प्रभारी **श्री सलीम एहमद** के अनुसार कोई राजनैतिक दल दर वृद्धि नहीं चाहता। निगम आयुक्त ने भोपाल में एडीबी की शर्तों के तहत दरवृद्धि का प्रस्ताव 3 बार भेजा लेकिन उसे न तो नगरनिगम पास करना चाहता है और न ही मेयर इन काउंसिल। सब चाहते हैं कि सरकार ही एकतरफा निर्णय लेकर दर वृद्धि कर दें ताकि ठीकरा उनके सिर न फूटे।

उल्लेखनीय है कि पिछली परिषद (कांग्रेसी मेयर सुश्री विभा पटेल के कार्यकाल में) के समय 2003 में जलदर 60 रुपए से बढ़ाकर 150 रूपए कर दी गई थी। तब विपक्षी भाजपा ने इसका विरोध किया था और कुछ दिनों बाद उमा भारती की सरकार आ जाने के बाद तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री श्री बाबुलाल गौर ने जलदर घटाकर पुनः 60 रुपए मासिक कर दी थी। लेकिन अब सरकार जलवृद्धि हेतु पुनः दबाव बना रहीं है। भोपाल नगरनिगम में 22 काँग्रेस, 4 निर्दलीय, और शेष 14 भाजपा के पार्षद हैं। मेयर भाजपा के श्री सुनील सूद है। इस प्रकार निगम काँग्रेस की तथा मेयर इन काउंसिल भाजपा की है। इस राजनैतिक स्थिति के कारण दोनों प्रमुख राजनैतिक दल दरवृद्धि के समर्थन का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। श्री सलीम एहमद के अनुसार अवैध कनेक्शनों को वैध करने का काम 2003 - 2004 में भी प्रारंभ किया गया था लेकिन करीब 50 कनेक्शनों को ही वैध किया जा सका। अभी यह अभियान बंद है।

श्री सलीम एहमद ने बताया कि अभी तक न तो व्यक्तिगत नल कनेक्शनों पर मीटर लगाए गए हैं और न ही झोनल मीटरिंग प्रारंभ की गई है। उन्होंने संपत्तिकर बढ़ाने को अतार्किक बताते हुए कहा कि पहले से ही संपत्तिकर की दरें काफी अधिक है और लोग चुका नहीं पा रहे हैं।

परियोजना हेतु Luise Berger Group Inc. (Project Management Consultant) और Infrastructure Professionals Enerprises (P) Limited (Implementation Consultant) को सलाहकार नियुक्त किया गया है। लुई बर्गर के डिप्टी टीम लीडर **श्री एनएस शेखावत** ने बताया कि परियोजना शहरों में

सार्वजनिक नलों को खत्म किया जाना चाहिए। Sector Reform की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि वाटर सप्लाई की लागत वसूल की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि एडीबी बदलाव चाहता है इसलिए परियोजना के लिए Fund की कमी नहीं रहेगी।

भोपाल के सिटी इंजीनियर **श्री खरे** ने कहा कि PHE के कर्मचारी नगरनिगम के अधीन हो गये हैं। यह निर्णय प्रशासनिक दृष्टि से ठीक है लेकिन Financial दृष्टि से गलत है। इससे नगरनिगम पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है।

इंदौर में निवासरत् मध्यप्रदेश के पूर्व जल संसाधन सचिव **श्री एमएस बिल्लौरे** ने बताया कि स्थापित कॉलोनियों का जलप्रदाय जरूरत के हिसाब से बढ़ाने के बजाय कम किया जा रहा है। जबकि नई पॉश कॉलोनियों को अधिक पानी दिया जा रहा है। एडीबी परियोजना से पॉश कॉलोनियों को ही अधिक फायदा भी होगा। सामाजिक कार्यकर्ता श्री अमूल्य निधि ने कहा कि एबी रोड़ और रिंग रोड़ पर बड़े पैमाने पर आवासीय परिसर और औद्योगिक मॉल्स बनने के कारण चिकित्सक नगर जैसी बस्तियों को पानी के लिए 2 - 2 किमी तक भटकना पड़ता है।

बदलावों का प्रभाव

- इंदौर नगरनिगम द्वारा सार्वजनिक नलों को निकट स्थित मकान मालिकों के नाम पंजीबद्ध करने का प्रावधान सिर्फ इस उद्देश्य से ही लाया गया है ताकि लोग स्वयं इन्हें निकालने की माँग करें। इससे एक ओर नये सार्वजनिक नलों की माँग स्वतः बंद हो जाएगी तथा अभी जो सार्वजनिक नल लगे हैं उन्हें हटाने का बहाना भी निगम को मिल जाएगा। हालांकि अभी तक यह प्रावधान लागू नहीं हो पाया है।

- दर वृद्धि हेतु कम राजस्व के इंदौर नगरनिगम के तर्क में दम नहीं है। नगरनिगम की जानकारी के अनुसार पेयजल पर प्रतिवर्ष 90 करोड़ रूपए खर्च होते हैं लेकिन राजस्व प्राप्ति सिर्फ 8 करोड़ ही होती है। इस हिसाब से तो राजस्व घाटे की पूर्ति हेतु निगम को जलदरें कम से कम 11 गुना बढ़ानी होगी। सामाजिक कार्यकर्त्ता और पत्रकार श्री चिन्मय मिश्रा ने कहा कि जल दरें तो पहले से ही काफी अधिक है। नगरनिगम एक दिन छोड़कर पानी देता है अर्थात् 15 दिन जलप्रदाय के लिए 150 रूपए लिए जाते हैं। इस प्रकार प्रभावी मासिक बिल 300 रुपए होता है।

- राजस्व बढ़ाने के जो नये–नये तरीके निकाले जा रहे हैं उसे न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। इस तरीके से आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों की समस्याएँ बढ़ेंगी। कचरा शुल्क नागरिकों पर कर का बोझ बढ़ाने वाला होगा।

- इंदौर में संपत्तियों के आंकलन में निजी कंपनियों को शामिल करना निजीकरण की दस्तक के रूप में देखा जाना चाहिए। इससे इन सेवाओं से सार्वजनिक निकाय का नियंत्रण कम होकर निजी क्षेत्र पर निर्भरता कायम होगी।

- नगरनिकायों को एकीकरण हेतु मेट्रोपोलिटन एरिया प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (मैपडा) के गठन से नीतिगत बदलावों को प्रदेश स्तर पर लागू करने हेतु किया जा रहा है। अभी तक परियोजना नगरों को कर्जदाता एजेंसी की शर्तों के अनुसार स्थानीय स्तर पर बदलाव करने थे और स्थानीय राजनैतिक तथा अन्य परिस्थितियों के कारण कई बाद समय पर बदलाव संभव नहीं हो पा रहे हैं। भोपाल में भी नगरनिगम के राजनैतिक हालातों के कारण पेयजल की दरवृद्धि संभव नहीं हो पा रही है।

- प्रदेश के किसी भी नगरनिकाय की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें भी अंशदान राशि इंदौर नगरनिगम की तरह ही कहीं से कर्ज ही लेना पड़ेगा। लेकिन चूंकि अंशदान राशि भी बड़ी होती है तथा स्थानीय निकायों की बैलेंस शीट देखकर कोई वित्तीय

एजेंसी उन्हें कर्ज देने में संकोच करती है। रतलाम नगर निगम द्वारा एडीबी कर्ज अस्वीकार करने के कारणों में बड़ी अंशदान राशि भी एक कारण था। इसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सरकार को ''मध्यप्रदेश शहरी अधोसंरचना कोष'' तथा **''मध्यप्रदेश नगरीय अधोसंरचना एवं वित्तीय सेवाएं मर्यादित''** (MP Urban Infrastructure and Financial Services Limited) गठित करने का निर्णय लेना पड़ा। बहुत संभव है कि सरकार के इन कदमों से नगरनिकाय वित्तीय एजेंसियों से कर्ज लेने में सक्षम हो जाएंगें। लेकिन मुख्य समस्या लोगों की कर भुगतान की क्षमता बढ़ाने की है। पहले काम इस दिशा में होना चाहिए अन्यथा बड़े कर्जों के कारण बढ़ाए गए करों के बोझ से आम जनता दब जाएगी क्योंकि नगरनिकायों द्वारा कर्ज पानी के अलावा सड़क निर्माण, परिवहन आदि सेवाओं के लिए भी लिए जा रहे हैं।

- इस पूरी परियोजना में बस्तियों की उपेक्षा तय है क्योंकि परियोजना दस्तावेज में ही कुल परियोजना राशि का मात्र 2.31 प्रतिशत ही रखा गया है। इतनी कम राशि में गरीब बस्तियों का आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। ज्ञात रहे कि मध्यप्रदेश में 38 प्रतिशत शहरी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही है।

- इन दिनों आमतौर पर देखा जा रहा है कि जलप्रदाय के लिए अत्यधिक महँगी योजनाएँ बनाई जा रही है। यदि सुधार एजेण्डे के तहत इन योजनओं की लागत, संचालन खर्च, लागत पर ब्याज और सुनिश्चित लाभ उपभोक्तओं से वसूला जाए तो सेवा शुल्क में होने वाली वृद्धि हर वर्ग के लिए असहनीय होंगी। **इंदौर** में नर्मदा के पिछले 2 चरणों का अनुभव बताता है कि संचालन खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा (50 करोड़) बिजली का बिल है। पानी दूर के स्रोत से पर लम्बी पाईप लाईन का संधारण खर्च भी उसी अनुपात में अधिक होता है।

  सितंबर 2006 के आकलन के अनुसार इंदौर में 641.25 करोड़ की एडीबी परियोजना में से 471 करोड़ अकेले नर्मदा तृतीय चरण पर खर्च किए जाएँगे। 275 करोड़ नर्मदा से इंदौर पाईप लाईन (150 किमी लम्बी) पर तथा शेष 196 करोड़ मशीनरी तथा सिविल कार्यों पर खर्च होंगें। इसका वार्षिक संचालन खर्च 175 करोड़ (लागत का 37 प्रतिशत) होगा जिसमें विद्युत व्यय 82 करोड़, संधारण व्यय 50 करोड़ एवं कर्ज वापसी के 43 करोड़ रुपए शामिल हैं। निगम के आंकलन के अनुसार इंदौर तक पानी पहुँचाने की लागत 18 रूपये/घमी होगी। जाहिर है। इतने महँगे पानी की कीमत कोई भुगतान नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि परियोजना खर्च घटाने हेतु इसकी वैकल्पिक योजना पर विचार किया जाए।

  इंदौर में तालाबों और कुएँ-बावड़ियों की एक समृद्ध परम्परा रही है। पहले से निर्मित इन जलस्रोतों का पुनरूद्धार तथा विकास किया जाए तो आर्थिक लागत कम करने के साथ ही समस्या का स्थाई समाधान भी हो सकेगा। इस वैकल्पिक योजना का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इसका संचालन/संधारण खर्च खासकर बिजली बिल काफी कम हो जाएगा। पानी की उपलब्धता अधिक भरोसमंद होगी। सारे खर्च कम हो जाने से संचालन लागत कम हो जाएगी और दरवृद्धि भी कम करनी होगी। लेकिन सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा कि इससे विभिन्न समुदायों के मध्य संभावित विवादों को टाला जा सकेगा। नर्मदा से पानी लेने पर आज कोई विवाद नहीं है लेकिन देश में जलविवादों को देखते हुए निकट भविष्य में इसकी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना

इसी प्रकार सितंबर 2004 में विश्व बैंक से 39ण6 करोड़ डॉलर (1782 करोड़ रूपये)[५] का कर्ज मिला है। इस कर्ज से **''मध्यप्रदेश जलक्षेत्र पुनर्रचना परियोजना''** संचालित की जा रही है जिसके तहत 1986 के पूर्व निर्मित 654 छोटी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा नहर तंत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जाना है। इससे प्रदेश के 30 जिलों में 4,95,000 हेक्टर में विश्वसनीय सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। कर्ज दस्तावेज में कहा गया है कि जीर्णशीर्ण सिंचाई तंत्रों के कारण वर्तमान में इसके आधे क्षेत्र में ही सिंचाई उपलब्ध हो पा रही है। हालांकि इस कर्ज का उपयोग पाँच नदी कछारों (चंबल, सिंध, बेतवा, केन और टोंस) में ही किया जाना है। लेकिन इसकी शर्तों के तहत किये जाने वाले नीतिगत बदलावों का प्रभाव पूरे राज्य के किसानों पर पड़ रहा है। अभी तक मिले संकेत बताते हैं कि राज्य पानी के निजीकरण की दिशा में बढने लगा है।

नया सिंचाई कानून – 27 नवंबर 2004 को जिस दिन प्रदेश की मंत्रिपरिषद् ने विश्व बैंक के इस कर्ज का अनुमोदन किया उसी दिन *'मध्यप्रदेश सिंचाई में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक* 2004*'* को भी स्वीकृति दी।

सिंचाई दरों में वृद्धि – 16 नवंबर 2005 के केबिनेट निर्णय में सिंचाई योजनाओं के रखरखाव खर्च की पूर्ति हेतु सिंचाई दरों में प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत वृद्धि का निर्णय ले लिया गया। अब बगैर किसी निर्णय के परियोजना के समापन तक ये दरें बढ़ाई जाती रहेंगी। इसका अर्थ है कि जो किसान वर्ष 2005 में सिंचाई पर 100 रूपए प्रतिवर्ष खर्च कर रहा होगा उसे योजना समाप्ति तक 249 रूपए यानी ढाई गुना अधिक और 10 वर्ष बाद 620 रूपए यानी 6 गुना से अधिक राशि खर्च करनी होगी।

भू–व्यपवर्तन कानून में ढील – 4 अक्टूबर 2007 के केबिनेट निर्णय में ''आवास एवं पर्यावास नीति 2007'' के बहाने कृषि भूमि के गैरकृषि कार्यों में उपयोग हेतु अनुमति की प्रथा समाप्त कर दी गई है। हालांकि यह शर्त विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित जेएनएनयूआरम में शामिल थी लेकिन इससे रियल ऐस्टेट कारोबारियों द्वारा बड़े पैमाने पर कृषि जमीन देने से कृषि क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

जल उपभोक्ता समूह – 2 वर्ष पूर्व प्रदेश में जल उपभोक्ता समूहों के चुनाव जोर–शोर में दलीय समर्थन के आधार पर हुए। इन चुनावों में धन का उपयोग आम चुनावों के बराबर ही देखने में आया। जल उपभोक्ता समूहों के चुनावों के दौरान अखबारों के पूरे पृष्ठ के विज्ञापन देखने को मिले जो सिद्ध करता है कि अब यह क्षेत्र भी दबंगों के हाथों में जा रहा है।

नियामक तंत्र – दिसंबर 2005 तक जल नियामक तंत्र (State Water Tariff/Rights Regulatory Commission) से संबंधित कानून का प्रारूप तैयार हो जाना चाहिए था जो तैयार तो हो चुका था लेकिन अभी तक इसे विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका है लेकिन प्रक्रिया जारी है। 10 मई 2007 को भोपाल में ''जल नियामक आयोग के गठन की आवश्यकता'' पर विषय प्रोजेक्ट उदय (एडीबी सहाययतित परियेाजना) द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई। प्रोजक्ट उदय के परियोजना संचालक श्री हरि रंजन राव ने कहा कि नियामक आयोग की आवश्यकता जैसे विषय पर कार्यशाला आयोजित करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। इसके बाद अब जल नियामक कानून को अंतिम रूप देने हेतु अगस्त 2007 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक साधिकार समिति (High Power Panel) बना दी गई है। समिति में नगरीय प्रशासन मंत्री, नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सहित कुल 6 सदस्य हैं।

[‡] डॉलर–रुपया विनिमय दर कर्ज स्वीकृति के समय की है।

वर्तमान स्थिति

भौतिक कार्य – जून 2007 तक मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार को विश्व बैंक से मात्र 132.89 करोड़ रूपये मिल पाए थे जो कि कुल कर्ज का मात्र 6.92% है।

परियोजना के तहत प्रदेश के पांच नदी कछारों के अंतर्गत आने वाले 654 पुराने बांधों और उनकी नहरों का आधुनिकीकरण किया जाना प्रस्तावित है। 6 अक्टूबर 2007 की जल संसाधन विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान 177 पुराने बाँधों और नहरों के आधुनिकीकरण का काम प्रारंभ होने की बात कही गई है। लेकिन विभाग की 22 नवंबर 2007 की विज्ञप्ति के अनुसार पहले चरण में 175 स्कीम माडर्नाइजेशन प्लान (एस.एम.पी.) विश्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने हैं जिनमें से अब तक 146 प्लॉन प्रस्तुत किए जा चुके हैं। प्रस्तुत किए गए एसएमपी में से 22 नवंबर 2007 तक 46 को छोड़ कर शेष को विश्व बैंक ने अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) जारी कर दिए थे।

इसके अतिरिक्त परियोजना के तहत दिए जाने वाले कुल 15 सलाहकारी ठेकों में से जून 2007 तक उत्पादकता सुधार, डिजाईन और क्रियांवयन सहायता तथा टोपोग्राफिक एवं केडेस्ट्रेल सर्वे संबंधी 3 ठेके दिए जा चुके हैं।

दुबारा टेण्डर – जून 2006 में चम्बल दाई मुख्य नहर के 83 किमी से 169 किमी के 77 करोड़ रूपए के 2 अलग–अलग टेण्डर जारी किए गए थे। यही टेण्डर जून 2007 में पुनः जारी किए गए। कुल मिलाकर परियोजना 2 वर्ष पिछड़ गई है। इसके बावजूद कार्य की प्रक्रिया, उनका निरीक्षण, दस्तावेजों का उत्तम रखरखाव और उपभोक्ता संतुष्टि के मापदण्ड के आधार पर विश्व बैंक सहायतित इस परियोजना को ISO 9001-2000 प्रमाण पत्र दे दिया गया है।